

कंवरी बनाम लिजी

सुं नं- 168/09

अन्तर्गत धारा - 212

24/7/2024

पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी अभि० उपस्थित।
वादी व वादी अभि० को मिल-मिल समय में
तीन बार आवेजे दिखवाए गई, कोई उपस्थित नहीं
हुआ। अतः पत्रावली अदम धाजरी अदम पैरवी में
खातिज ही जाती है। पत्रावली के साथ शुमार लेकर
नाम्बर से कम हो।

PAH

सहायक कलेक्टर (मु.), अजमेर